



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 197]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्टूबर 14, 2011/आश्विन 22, 1933

No. 197]

NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 14, 2011/ASVINA 22, 1933

केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद्

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 सितम्बर, 2011

सं. एफ. 12-6/2001 के.हो.प. (पार्ट).—होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद्, होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1973 (1973 का 59वां) की धारा 12क के साथ पठित धारा 33 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार की पूर्वानुमति से निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात् :—

### 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—

- (1) इन विनियमों को 'नए चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना, (अध्ययन का नया अथवा उच्चतर पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण प्रारंभ करना तथा चिकित्सा महाविद्यालय द्वारा प्रवेश क्षमता में वृद्धि करना) विनियम, 2011' कहा जाएगा।
- (2) ये राजपत्र अधिसूचना में उनके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे।

### 2. परिभाषा.—इन विनियमों में जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो :—

- (क) "अधिनियम" से होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1973 अभिप्रेत है।
- (ख) "प्रपत्र" से इन विनियमों में संलग्न प्रपत्र से अभिप्रेत है।
- (ग) "धारा" से अधिनियम की धारा से अभिप्रेत है।
- (घ) यहां पर प्रयुक्त शब्द और अभिव्यक्ति, जो यहां परिभाषित नहीं है, परन्तु अधिनियम में परिभाषित है, का अभिप्राय अधिनियम में उनके लिए दिए गए अर्थ से होगा।

### 3. चिकित्सा महाविद्यालय स्थापित करने, अध्ययन का नया अथवा उच्चतर पाठ्यक्रम अथवा प्रशिक्षण खोलने अथवा प्रवेश क्षमता में वृद्धि की अनुमति हेतु :—

यदि कोई व्यक्ति नया चिकित्सा महाविद्यालय खोलने का इच्छुक है अथवा कोई चिकित्सा महाविद्यालय अध्ययन का नया अथवा उच्चतर पाठ्यक्रम अथवा प्रशिक्षण प्रारंभ करना चाहता है अथवा अध्ययन के किसी पाठ्यक्रम अथवा प्रशिक्षण में प्रवेश क्षमता में वृद्धि करना चाहता है तो उसे विनियम 4-6 में उल्लिखित प्रक्रिया एवं मानदंडों का अनुसरण करना होगा तथा विनियम 4 में दिए गए प्रपत्र के अनुसार आवेदन पत्र सहित स्कीम केंद्र सरकार को भेजेगा।

#### 4 स्कीम के लिए आवेदन पत्र

- (1) यदि कोई व्यक्ति नया चिकित्सा महाविद्यालय स्थापित करना चाहता है, तो वह प्रपत्र-1 में आवेदन-पत्र सहित स्कीम भेजेगा।
- (2) यदि कोई चिकित्सा महाविद्यालय अध्ययन अथवा प्रशिक्षण का नया अथवा उच्चतर पाठ्यक्रम खोलना चाहता है, तो वह प्रपत्र-2 में आवेदन-पत्र सहित स्कीम भेजेगा।
- (3) यदि कोई चिकित्सा महाविद्यालय अध्ययन अथवा प्रशिक्षण के किसी पाठ्यक्रम में प्रवेश क्षमता में वृद्धि करना चाहता है, तो वह प्रपत्र-3 में आवेदन-पत्र सहित स्कीम भेजेगा।

#### 5 प्राधिकारी जिसको स्कीम और आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है:-

विनियम 4 के अधीन आवेदन-पत्र और स्कीम विनियम में संलग्न-अनुसूची के अनुसार सचिव, भारत सरकार, आयुर्वेद, योग व प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध एवं होम्योपैथी (आयुष) विभाग को भेजी जाएगी।

#### 6 आवेदन-पत्र भेजने के लिए पात्रता -

- (1) विनियम 4 के उप-विनियम (1) के अधीन व्यक्ति अथवा चिकित्सा महाविद्यालय आवेदन भेजने के पात्र हैं, यदि -
  - (क) उसका एक प्रयोजन होम्योपैथी के बारे में शिक्षा प्रदान करना हो;
  - (ख) यदि प्रस्ताव 50 छात्रों की प्रविष्टि की अनुमति के लिए है, तो कम से कम 2.5 एकड़ भूमि का अपना अथवा 99 वर्ष के लिए पट्टे पर उपयुक्त भूखंड हो, और यदि प्रस्ताव 100 छात्रों तक की प्रविष्टि के लिए है, तो कम से कम चार

एकड़ का भूखंड हो तथा उसी भूखंड में चिकित्सा महाविद्यालय खोलने की वचनबद्धता हो;

- (ग) प्रस्तावित स्थान पर नया चिकित्सा महाविद्यालय स्थापित करने के लिए संबंधित राज्य सरकार से प्रपत्र 4 में "अनापति प्रमाण पत्र" प्राप्त कर लिया हो;
- (घ) किसी केंद्र अथवा राज्य संविधि अधीन स्थापित विश्वविद्यालय से नया चिकित्सा महाविद्यालय स्थापित करने के लिए प्रपत्र 5 में "सम्बद्धता हेतु सहमति" प्राप्त कर ली हो;
- (ङ) आवश्यक सुविधाओं और अवसंरचना सहित कम से कम पच्चीस शैय्याओं वाला होम्योपैथी में अपने अस्पताल का प्रबंधन करता हो;
- (च) प्रस्तावित चिकित्सा महाविद्यालय में भी किसी कक्षा अथवा स्तर अथवा पाठ्यक्रम अथवा प्रशिक्षण में पहले से ही छात्रों को प्रवेश नहीं दिया हो; और
- (छ) वाणिज्यिक बैंक से केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद्, नई दिल्ली के पक्ष में 5 वर्ष की अवधि के लिए वैध निम्न दो निष्पाद प्रत्याभूति देने की स्थिति में हो:

(i) चिकित्सा महाविद्यालय स्थापित करने के लिए-

क. 50 सीटों तक	- रुपये एक करोड़
ख. 51-100 सीटों तक	- रुपये बीस लाख प्रति 10 अथवा कम सीटों के लिए

(ii) शैक्षणिक अस्पताल और इसकी अवसंरचना सुविधाओं की स्थापना के लिए-

क. 150 शैय्याओं तक	- रुपये एक करोड़ पचास लाख
ख. अतिरिक्त शैय्याओं के लिए	- रुपये दस लाख प्रति 10 अथवा कम शैय्याओं के लिए

बशर्त कि उपर्युक्त शर्त राज्य सरकारों अथवा केंद्र शासित सरकारों पर लागू नहीं होगी यदि वे अपने योजना बजट में नियमित रूप से समयबद्ध कार्यक्रम के अनुसार पूर्ण रूप से आवश्यक सुविधाओं की उपलब्धता तक वित्त देने के लिए वचनबद्ध हों।

- (2) महाविद्यालय विनियम 4 के उप-विनियम 2 के अधीन आवेदन-पत्र देने का पात्र है यदि,-
- (क) संबंधित राज्य सरकार अथवा केंद्र शासित प्रशासन से अनुमति प्राप्त कर ली हो (प्रपत्र 4);
- (ख) केंद्र अथवा राज्य विधि के अधीन स्थापित विश्वविद्यालय की सहमति प्राप्त कर ली हो (प्रपत्र 5);
- (ग) केंद्रीय परिषद् के मानदंडों के अनुरूप अतिरिक्त वित्तीय संसाधनों, स्टाफ, स्थान, उपकरणों और अन्य अवसंरचना के समर्थन में प्रलेखित साक्ष्य देने हेतु सक्षम हो;
- (घ) केंद्रीय परिषद् द्वारा होम्योपैथी में स्नातकीय अथवा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम संचालित करने की मान्यता क्रमशः साढ़े पांच वर्ष एवं तीन वर्ष की प्राप्त कर ली हो;
- (ङ.) केंद्र सरकार/राज्य सरकार के स्वामित्व अथवा प्रबंध किए जाने के कारण केंद्र सरकार द्वारा उपबंध (घ) में उल्लिखित मानदंडों को पूरा करने में छूट दी गई हो;
- (च) स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के लिए छात्रों का चयन केंद्रीय परिषद् द्वारा विहित शैक्षिक वरीयता के आधार पर किया जाता है;
- (छ) स्नातकोत्तर उपाधि अथवा डिप्लोमा और विषयों के पाठ्यक्रम की नामावलि तथा शिक्षक छात्र अनुपात संबंधित विनियम के अनुसार हो;
- (ज) होम्योपैथी महाविद्यालय/संस्थान प्रत्येक विषय में अतिरिक्त अवसंरचना सुविधाओं के लिए निम्न रूप से अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक से केंद्रीय होम्योपैथी परिषद् के नाम बैंक प्रत्याभूति देता हो:-

क. स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम	-	रु. पचास लाख
ख. अन्य मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम	-	रु. तीस लाख

बशर्ते कि यह शर्त उन महाविद्यालयों पर लागू नहीं होगी-

(i) जो राज्य सरकारों द्वारा शासित हैं, बशर्ते कि वे योजना बजट में उल्लिखित समयबद्ध कार्यक्रम के अनुसार नियमित रूप से सुविधाएं पूरी होने तक वित्त प्रदान करने के लिए वचनबद्ध हों; और

ii उस विषय में कोई पाठ्यक्रम चलाना है, जहां परिषद् ने उस विषय में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम चलाने की अनुमति पहले से दी हुई हो।

(3) विनियम 4 के उप-विनियम (3) के अधीन कोई चिकित्सा महाविद्यालय आवेदन करने के लिए पात्र होगा यदि;--

(क) संबंधित राज्य सरकार अथवा केंद्र शासित प्रशासन से अनुमति प्राप्त कर ली हो (प्रपत्र-4);

(ख) केंद्र अथवा राज्य संविधि के अधीन स्थापित विश्वविद्यालय की सहमति प्राप्त कर ली हो (प्रपत्र-5);

(ग) केंद्रीय परिषद् के मानदंडों के अनुरूप अतिरिक्त वित्तीय संसाधनों, स्टाफ, स्थान, उपकरणों और अन्य अवसंरचना के समर्थन में प्रलेखित साक्ष्य प्रस्तुत किया हो;

(घ) स्नातकीय पाठ्यक्रम के लिए साठे पांच वर्ष तथा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के लिए तीन वर्ष की अवधि पूरी कर ली हो;

(ङ.) केंद्रीय परिषद् द्वारा स्नातकीय/स्नातकोत्तर/अन्य कोई मान्य पाठ्यक्रम चलाने की अनुमति हो;

(च) चिकित्सा महाविद्यालय में प्रवेश के लिए न्यूनतम मानकों एवं आवश्यकताओं के विनियम में निर्धारित शिक्षक और छात्र अनुपात रखता हो;

(छ) स्नातकीय पाठ्यक्रम में प्रवेश की अधिकतम संख्या 100 से अधिक न हो;

(ज) होम्योपैथी महाविद्यालय/संस्थान प्रत्येक विषय में अतिरिक्त अवसंरचना सुविधाओं के लिए निम्न रूप से अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक से केंद्रीय होम्योपैथी परिषद् के नाम बैंक प्रत्याभूति देता हो:-

क.	<u>स्नातकीय पाठ्यक्रम</u>	50 सीटों तक	रु. पच्चीस लाख
		51 से 100 सीटों तक	रु. पचास लाख
ख.	<u>स्नातकोत्तर उपाधि</u>	प्रति सीट	रु. पांच लाख
ग.	<u>अन्य कोई मान्य पाठ्यक्रम</u>	प्रति सीट	रु. दो लाख

बशर्ते कि उपर्युक्त शर्त राज्य सरकारों अथवा केंद्र शासित प्रदेशों के अधीन शासित महाविद्यालयों पर लागू नहीं होगी बशर्ते वे अपने योजना बजट में नियमित रूप से समयबद्ध कार्यक्रम के अनुसार पूर्ण रूप से आवश्यक सुविधाओं की उपलब्धता तक वित्त देने के लिए वचनबद्ध हों।

#### 7. केंद्रीय होम्योपैथी परिषद् की अनुशंसाएं:-

धारा 13क की उपधारा (2) के अधीन केंद्र सरकार से प्राप्त स्कीम पर केंद्रीय परिषद् प्रपत्र 6 में अपनी अनुशंसाएं केंद्र सरकार को भेजेगी।

#### 8. आवेदन पत्र के साथ भेजने के लिए शुल्क

विनियम 4 के अधीन भेजे जाने वाले आवेदन-पत्र और स्कीम के साथ केंद्रीय होम्योपैथी परिषद्, नई दिल्ली के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट अथवा पे-आर्डर द्वारा निम्न शुल्क देय होगा:-

- |     |  |                              |
|-----|--|------------------------------|
| (क) | चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना के लिए                                 | - रु. तीन लाख पचास हजार      |
| (ख) | अध्ययन का नया अथवा उच्चतर पाठ्यक्रम अथवा प्रशिक्षण प्रारंभ करने के लिए | - रु. दो लाख प्रति पाठ्यक्रम |
| (ग) | प्रवेश क्षमता बढ़ाने के लिए  | - रु. दो लाख                 |

#### 9. अनुमति आदेश

धारा 12-क की उप-धारा (9) के अधीन केंद्र सरकार द्वारा पारित आदेश में छात्रों के प्रथम बैच को प्रवेश देने से पूर्व भवन निर्माण, अवसंरचना सुविधा, चिकित्सीय एवं सहायक उपकरणों, संकाय एवं स्टाफ से संबंधित प्रारंभिक आवश्यकताओं की स्थापना का स्पष्ट उल्लेख होगा।

## प्रपत्र-1

(देखें विनियम 4 का उप-विनियम (1))

नया चिकित्सा महाविद्यालय स्थापित करने की अनुमति हेतु आवेदन पत्र

## भाग-I

- 1 आवेदक का नाम \_\_\_\_\_  
(स्पष्ट शब्दों में)
- 2 पूरा पता, पिन कोड सहित, दूरभाष संख्या, फैक्स \_\_\_\_\_  
एवं ई-मेल(स्पष्ट शब्दों में)
- 3 मुख्यालय एवं शाखा कार्यालय, यदि कोई है, का \_\_\_\_\_  
पता, पिन कोड सहित, दूरभाष संख्या, टेलेक्स,  
फैक्स एवं ई-मेल
- 4 आवेदक की स्थिति \_\_\_\_\_  
राज्य सरकार/केंद्र शासित क्षेत्र/अथवा विश्वविद्यालय  
अथवा न्यास
- 5 पंजीयन/संस्थापन \_\_\_\_\_  
(संख्या एवं तिथि, यदि कोई हो)
- 6 संबद्ध विश्वविद्यालय का नाम एवं पता \_\_\_\_\_
- 7 चिकित्सा महाविद्यालय एवं संलग्न अस्पताल के \_\_\_\_\_  
लिए उपलब्ध बुनियादी अवसंरचना सुविधाएं  
(यदि आवश्यक हो, तो पृथक पृष्ठ लगाएं)
- 8 न्यास की संरचना, सोसाइटी/न्यास के सदस्यों का \_\_\_\_\_  
व्यौरा, प्रस्तावित चिकित्सा महाविद्यालय का अध्यक्ष  
अथवा परियोजना निदेशक, विद्यमान अस्पताल का  
अध्यक्ष, चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में सदस्यों,  
परियोजना के अध्यक्ष अथवा निदेशक तथा  
अस्पताल के अध्यक्ष की अर्हता एवं अनुभव
- 9 वित्तीय क्षमता \_\_\_\_\_  
(यदि प्रार्थी ट्रस्ट है, तो गत तीन वर्षों का तुलन  
पत्र, ससाधनों का विवरण)
- 10 प्रस्तावित होम्योपैथी महाविद्यालय का नाम एवं पता \_\_\_\_\_

11. चिकित्सा महाविद्यालय के प्रस्तावित स्थान की  
विशिष्टताएं
- (क) स्थान विवरण
- (ख) भूखंड का आकार
- (ग) अनुज्ञेय फर्श स्थान निर्देशिका
- (घ) भूमि आधिपत्य
- (ङ.) भवन की ऊंचाई
- (च) मार्ग सुगमता
- (छ) सार्वजनिक परिवहन की उपलब्धता
- (ज) विद्युत आपूर्ति
- (झ) जल आपूर्ति
- (ञ) मल-निष्कासन व्यवस्था
- (ट) संचार सुविधा
- (ठ) प्रस्तावित चिकित्सा महाविद्यालय का मास्टर प्लान
- (ड) अभिन्यास योजना, अनुभाग
- (ढ) ऊंचाई एवं तल के अनुसार क्षेत्रफल की गणना

12. शिक्षा सम्बन्धी कार्यक्रम

- (क) छात्रों की प्रस्तावित वार्षिक प्रवेश क्षमता
- (ख) प्रवेश विधि
- (ग) सीटों का आरक्षण/अधिमान्य आबंटन

13. क्रियात्मक कार्यक्रम

- (क) विभागानुसार तथा सेवानुसार क्रियात्मक  
आवश्यकताएं
- (ख) क्षेत्रीय आबंटन तथा कक्ष के अनुसार बैठने की  
क्षमता



## 14. उपकरणों की व्यवस्था

उपकरणों की विभागानुसार सूची एवं प्रति वर्ष वृद्धि सम्बन्धी विनिर्देश।

- (क) चिकित्सा उपकरण  
 (ख) वैज्ञानिक उपकरण  
 (ग) सहायक उपकरण

## 15. जलशक्ति कार्यक्रम

विभागानुसार एवं प्रत्येक वर्ष में प्रावधान

- (क) पूर्णकालिक शिक्षक वर्ग  
 (ख) तकनीकी वर्ग  
 (ग) प्रशासनिक वर्ग  
 (घ) सहायक वर्ग  
 (ङ.) वेतनमान  
 (च) वेतन अदायगी का प्रकार  
 (छ) भर्ती प्रक्रिया  
 (ज) भर्ती कार्यक्रम

## 16. भवन कार्यक्रम

- (क) विभाग, लैक्चर थिएटर, परीक्षा हॉल, संग्रहालय इत्यादि  
 (ख) स्टॉफ क्वार्टर  
 (ग) स्टॉफ एवं छात्रों के लिए आवास  
 (घ) प्रशासनिक कार्यालय  
 (ङ.) पुस्तकालय  
 (च) सभागार  
 (छ) शिक्षण भेषजशाला  
 (ज) शव गृह  
 (झ) सांस्कृतिक एवं मनोरंजन केंद्र  
 (ञ) क्रीडा स्थल  
 (ट) वनोपधि उद्यान

- (ठ) अन्य सुविधाएं -----  
 (अन्य सुविधाओं का नाम बताएं) -----

17. निर्दिष्ट क्रियाकलापों का प्रस्तावित क्रमबद्ध तथा त्रैमासिक कार्यक्रम

- (क) भवन अभिकल्प का प्रारंभ और संपन्न होने संबंधी विवरण -----  
 (ख) स्थानीय निकायों का अनुमोदन -----  
 (ग) सिविल निर्माण -----  
 (घ) अभियान्त्रिक सेवाओं एवं उपकरणों का प्रावधान -----  
 (ङ.) स्टाफ की आवश्यकता -----  
 (च) प्रवेश अनुसूची -----

18. परियोजना की लागत

- (क) भूमि की पूंजीगत लागत -----  
 (ख) भवन -----  
 (ग) संयंत्र एवं मशीनरी -----  
 (घ) चिकित्सीय, वैज्ञानिक एवं सहायक उपकरण -----  
 (ङ.) फर्नीचर एवं उपस्कर -----  
 (च) प्रारम्भिक एवं परिचालन से पूर्व के व्यय -----

19. परियोजना वित्त-पोषण साधन

- (क) आवेदक का अंशदान -----  
 (ख) अनुदान -----  
 (ग) दान -----  
 (घ) लाभांश -----  
 (ङ.) आवधिक ऋण -----  
 (च) अन्य स्रोत, यदि कोई हो -----

20. पूर्वानुमानित राजस्व

- (क) शुल्क ढाँचा -----

(ख) अस्पताल प्रयोक्ता प्रभार

(ग) विभिन्न स्रोतों से प्राप्त अनुमानित वार्षिक राजस्व

21. पूर्वानुमानित व्यय

(क) परिचालन व्यय

(ख) अवमूल्यन

22. परिचालन परिणाम

(क) आय का विवरण

(ख) नकद राशि का विवरण

(ग) परियोजित तुलन-पत्र

23. विद्यमान अस्पताल का नाम, पता तथा विवरण

(क) शय्या क्षमता

(ख) शय्याओं का बंटवारा एवं शय्याओं का अधिभोग तथा क्या प्रति छात्र तीन अन्तरंग रोगियों के मानदण्ड पूरे होंगे।

(ग) निर्मित क्षेत्र

(घ) नैदानिक एवं परा-नैदानिक विषय

(ङ.) बहिरंग रोगी विभागों की संख्या तथा विभागानुसार उपस्थिति

(च) वास्तुशिल्पीय तथा अभिविन्यास योजनाएं

(छ) चिकित्सीय/सहायक उपकरणों की सूची

(ज) अभियान्त्रिक सेवाओं की क्षमता और विन्यास

(झ) अस्पतालीय सेवाएं, प्रशासनिक सेवाएं, अन्य सहायक एवं अनुसमर्थन सेवाएं (श्रेणी-वार कर्मचारियों की संख्या)

भाग II

## उन्नयन एवं विस्तारण कार्यक्रम

## 24. विद्यमान अस्पताल के विस्तार के लिए अतिरिक्त भूमि का विवरण

- |   |       |
|---|-------|
| (क) भूमि का ब्यौरा  | ----- |
| (ख) चिकित्सा महाविद्यालय एवं प्रस्तावित अस्पताल की अवस्थिति | ----- |
| (ग) स्थान विवरण   | ----- |
| (घ) भूखंड का आकार   | ----- |
| (ङ.) अनुज्ञेय फर्श स्थान निर्देशिका                         | ----- |
| (च) भूमि आधिपत्य  | ----- |
| (छ) भवन की ऊंचाई  | ----- |
| (ज) मार्ग सुगमता  | ----- |
| (झ) सार्वजनिक परिवहन की उपलब्धता                            | ----- |
| (ञ) विद्युत आपूर्ति   | ----- |
| (ट) जल आपूर्ति  | ----- |
| (ठ) मल-निष्कासन व्यवस्था                                    | ----- |
| (ड) संचार सुविधा  | ----- |
| (ढ) प्रस्तावित चिकित्सा महाविद्यालय का मास्टर प्लान         | ----- |
| (ण) अभिन्यास योजना, अनुभाग                                  | ----- |
| (त) ऊंचाई एवं तल के अनुसार क्षेत्रफल की गणना                | ----- |

## 25. उन्नयन नैदानिक कार्यक्रम:-

विस्तारण कार्यक्रम के अंतर्गत परिकल्पित अतिरिक्त  
नैदानिक एवं परा-नैदानिक क्रियाकलापों के विस्तारण का  
प्रत्येक वर्ष का विवरण

26. उन्नयन क्रियात्मक कार्यक्रम:-

- (क) विषयानुक्रम तथा सेवा अनुक्रम में क्रियात्मक आवश्यकताएं
- (ख) विभाजन क्षेत्र
- (ग) विशिष्टता के अनुसार शय्याओं का विभाजन

27. भवन विस्तारण कार्यक्रम:-

प्रति वर्ष अतिरिक्त निर्मित क्षेत्र की उपलब्धता

- (क) विभाग, लैक्चर थिएटर, परीक्षा हॉल इत्यादि
- (ख) अस्पताल
- (ग) स्टाफ क्वार्टर
- (घ) स्टाफ एवं छात्रों के लिए आवास
- (ड.) अन्य सहायक भवन

28. योजना एवं विकास:-

अस्पताल परिसर का उन्नयन मास्टर प्लान तथा -

- (क) विन्यास योजना
- (ख) अनुभाग
- (ग) उंचाई
- (घ) अस्पताल के क्षेत्रफल की तल के अनुसार गणना
- (ड.) सहायक भवनों के क्षेत्रफल की तल के अनुसार गणना

29. अभियान्त्रिक सेवाओं तथा अस्पताल सेवाओं की क्षमता एवं विन्यास के विकास अथवा परिवर्धन का विवरण

## 30. उपकरण कार्यक्रम:-

उन्नत विभागानुसार उपकरणों की सूची, जिसमें प्रति वर्ष मात्रा एवं विनिर्देशन की अनुसूची सन्निहित हो-

- (क) चिकित्सीय उपकरण -----  
 (ख) वैज्ञानिक उपकरण -----  
 (ग) सहायक उपकरण -----

## 31. उन्नत जनशक्ति कार्यक्रम :-

विभागानुसार एवं प्रति वर्ष प्रावधान-

- (क) पूर्णकालिक शिक्षक वर्ग -----  
 (ख) तकनीकी वर्ग -----  
 (ग) प्रशासनिक वर्ग -----  
 (घ) सहायक वर्ग -----  
 (ङ.) वेतनमान -----  
 (च) वेतन अदायगी का प्रकार -----  
 (छ) भर्ती प्रक्रिया -----  
 (ज) भर्ती कार्यक्रम -----

## 32. विस्तारण योजना - निर्दिष्ट क्रियाकलापों का प्रस्तावित क्रमबद्ध कार्यक्रम तथा त्रैमासिक अनुसूची-

- (क) भवन अभिकल्प का प्रारम्भ एवं पूरा होना -----  
 (ख) स्थानीय निकायों का अनुमोदन -----  
 (ग) सिविल निर्माण -----  
 (घ) अस्पतालीय तथा अभियान्त्रिक सेवाओं का प्रावधान -----  
 (ङ.) चिकित्सीय एवं सहायक उपकरणों का प्रावधान -----  
 (च) स्टाफ की आवश्यकता -----  
 (छ) प्रवेश कार्यक्रम -----

## 33. परियोजना लागत:-

- (क) भूमि की पूंजीगत लागत -----  
 (ख) भवन -----  
 (ग) रायंत्र एवं मशीनरी -----  
 (घ) चिकित्सीय, वैज्ञानिक एवं सहायक उपकरण -----  
 (ङ.) फर्नीचर एवं उपस्कर -----  
 (च) प्रारम्भिक और परिचालन पूर्व व्यय -----

## 34. परियोजना वित्त-पोषण साधन:-

- (क) प्रार्थी का अंशदान -----  
 (ख) अनुदान -----  
 (ग) दान -----  
 (घ) लाभांश -----  
 (ङ.) आवधिक ऋण -----  
 (च) अन्य स्रोत, यदि कोई हो -----

## 35. पूर्वानुमानित राजस्व:-

- (क) शुल्क ढाँचा -----  
 (ख) अस्पताल प्रयोक्ता प्रभार -----  
 (ग) विभिन्न स्रोतों से प्राप्त अनुमानित वार्षिक राजस्व -----

## 36. पूर्वानुमानित व्यय:-

- (क) परिचालन लागत -----  
 (ख) अवमूल्यन -----

## 37. परिचालन परिणाम:-

- (क) आय का विवरण -----  
 (ख) नकद राशि का विवरण -----

(ग) परियोजित तुलन पत्र

आवेदक का हस्ताक्षर

अनुलग्नकों की सूची:

1. उपविधि/विज्ञप्ति एवं एंसासिएशन के निगम/न्यास दस्तावेजों की सत्यापित प्रति।
2. पंजीयन/संस्थापन के प्रमाण पत्रों की सत्यापित प्रति।
3. गत तीन वर्षों के वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखा परीक्षित तुलन पत्र।
4. कुल उपलब्ध भूमि की स्वामित्व के प्रमाण के लिए आवश्यक दस्तावेज की सत्यापित प्रति।
5. भूमि उपयोगार्थे उपलब्ध स्थान की क्षेत्रीय योजना की सत्यापित प्रति।
6. विद्यमान अस्पताल के स्वामित्व का प्रमाण।
7. संबंधित राज्य सरकार अथवा केन्द्र शासित प्रदेश प्रशासन द्वारा जारी "अनापति प्रमाण पत्र" की सत्यापित प्रति।
8. मान्य विश्वविद्यालय द्वारा जारी संबद्धता हेतु सहमति की सत्यापित प्रति।
9. आवेदक का बैंकर के नाम प्राधिकरण पत्र, जिसमें केन्द्र सरकार/केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद को प्रार्थी के वित्तीय रिकार्ड की स्वतंत्र जांच के लिए प्राधिकृत किया गया हो।
10. आवेदन पत्र के विभिन्न भागों के अनुसार अन्य अनुलग्नक (कृपया विवरण दें)।

नोट:- सभी प्रतियां राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित हों।



## प्रपत्र - 2

(देखें विनियम 4 का उप-नियम (2))

अध्ययन अथवा प्रशिक्षण का नया अथवा उच्चतर पाठ्यक्रम शुरू करने की अनुमति के लिए आवेदन पत्र

1. आवेदक का नाम  
(स्पष्ट शब्दों में) -----
2. पूरा पता, पिन कोड  
दूरभाष संख्या, फैक्स, ई-मेल  
(स्पष्ट अक्षरों में) -----
3. मुख्यालय और शाखा कार्यालय, यदि कोई हो, का  
पता, पिन कोड, दूरभाष संख्या, टेलेक्स,  
फैक्स, ई-मेल -----
4. आवेदक की स्थिति  
राज्य सरकार/केन्द्र शासित क्षेत्र/  
अथवा विश्वविद्यालय अथवा न्यास -----
5. पंजीयन/संस्थापन  
(संख्या एवं तिथि, यदि कोई है) -----
6. संबद्ध विश्वविद्यालय का नाम  
एवं पता -----
7. स्नातकीय पाठ्यक्रम के लिए प्रथम बैच  
के प्रवेश का वर्ष -----
8. प्रथम स्नातकीय बैच की समाप्ति  
का माह एवं वर्ष -----
9. अनुमोदित सीटों की संख्या और विद्यमान  
स्नातकीय/स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के लिए  
केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद् द्वारा मान्यता की तिथि -----
10. प्रस्तावित नया अथवा उच्चतर अध्ययन पाठ्यक्रम  
(पाठ्यक्रमों) का नाम -----

11. प्रत्येक पाठ्यक्रम के लिए आवेदित सीटों की संख्या -----

12. विवरण दें:-

(क) अतिरिक्त वित्तीय आबंटन -----

(ख) अतिरिक्त स्थान, उपकरण एवं -----

अन्य अवसंरचना सुविधाओं का प्रावधान -----

(ग) अतिरिक्त स्टाफ की भर्ती का प्रावधान -----

13. अन्य प्रासंगिक सूचना -----

तिथि:

स्थान:

आवेदक के हस्ताक्षर  
पूरा नाम  
पदनाम

अनुलग्नकों की सूची:-

1. संबंधित राज्य सरकार/केन्द्र शासित प्रदेश प्रशासन द्वारा जारी "अनापत्ति प्रमाण पत्र" की सत्यापित प्रति।
2. मान्य विश्वविद्यालय द्वारा जारी संबद्धता हेतु सहमति की सत्यापित प्रति।
3. आवेदक का बैंकर के नाम प्राधिकरण पत्र, जिसमें केन्द्र सरकार/केंद्रीय होम्योपैथी परिषद को प्रार्थी के वित्तीय अभिलेख की स्वतंत्र जांच के लिए प्राधिकृत किया गया हो।
4. केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद द्वारा पहले से यदि अनुमोदित है, तो महाविद्यालय/संस्थान को मान्यता देने के लिए केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद के पत्र की सत्यापित प्रति।

नोट:- सभी प्रतियां राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित हों।

प्रपत्र-3

(देखें विनियम 4 का उप-नियम (3))

प्रवेश क्षमता बढ़ाने के लिए आवेदन पत्र

1. आवेदक का नाम  
(स्पष्ट शब्दों में) -----
2. पूरा पता, पिन कोड, दूरभाष संख्या,  
फैक्स, ई-मेल (स्पष्ट अक्षरों में) -----
3. मुख्यालय और शाखा कार्यालय,  
यदि कोई हो, का पता, पिन कोड,  
दूरभाष संख्या, टैलेक्स, फैक्स, ई-मेल -----
4. आवेदक की स्थिति  
राज्य सरकार/केन्द्र शासित क्षेत्र/  
अथवा विश्वविद्यालय अथवा न्यास -----
5. पंजीयन/संस्थापन  
(संख्या एवं तिथि, यदि कोई है) -----
6. संबद्ध विश्वविद्यालय का नाम एवं पता -----
7. स्नातकीय पाठ्यक्रम के लिए प्रथम बैच के  
प्रवेश का वर्ष -----
8. प्रथम स्नातकीय बैच की समाप्ति का माह एवं  
वर्ष -----
9. अनुमोदित सीटों की संख्या और विद्यमान  
स्नातकीय/स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (पाठ्यक्रमों)  
के लिए केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद् द्वारा  
मान्यता की तिथि -----

10. प्रवेश क्षमता बढ़ाने हेतु आवेदित अध्ययन के पाठ्यक्रम (पाठ्यक्रमों) का नाम -----
11. प्रत्येक विषय/पाठ्यक्रम के लिए आवेदित शीटों की संख्या -----
12. विवरण दें:-
- (क) अतिरिक्त वित्तीय आवंटन -----
- (ख) अतिरिक्त स्थान, उपकरण एवं अन्य अवसंरचना सुविधाओं का प्रावधान -----
- (ग) अतिरिक्त स्टाफ की भर्ती का प्रावधान -----
- 13 अन्य प्रासंगिक सूचना -----

तिथि:

स्थान:

आवेदक के हस्ताक्षर

पूरा नाम

पदनाम

अनुलग्नकों की सूची:

1. संबंधित राज्य सरकार/केन्द्र शासित प्रदेश प्रशासन द्वारा जारी "अनापति प्रमाण पत्र" की सत्यापित प्रति।
2. मान्य विश्वविद्यालय द्वारा जारी संबद्धता हेतु सहमति की सत्यापित प्रति।
3. आवेदक का चैंकर के नाम प्राधिकरण पत्र, जिसमें केन्द्र सरकार/केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद को प्रार्थी के वित्तीय अभिलेख की स्वतंत्र जांच के लिए प्राधिकृत किया गया हो।
4. केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद द्वारा पहले से यदि अनुमोदित है, तो महाविद्यालय/संस्थान को मान्यता देने के लिए केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद के पत्र की सत्यापित प्रति।

नोट:- सभी प्रतियां राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित हों।

प्रपत्र 4

(देखें विनियम 6 का उपखंड 1(ग) 2(क) एवं 3(क))

राज्य सरकार की ओर से अनापत्ति प्रमाण पत्र

संख्या-----

-----सरकार

आयुर्वेद, योग व प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध एवं होम्योपैथी (आयुष) विभाग

तिथि.....

सेवा में (आवेदक का नाम एवं पता)

विषय: अनापत्ति प्रमाण-पत्र

सन्दर्भ:

महोदय,

निम्न तथ्यों के सम्बन्ध में वांछित "अनापत्ति प्रमाण पत्र" जारी किया जा रहा है :-

1. राज्य में पहले से विद्यमान होम्योपैथिक संस्थानों की संख्या।
2. उपलब्ध सीटों की संख्या अथवा प्रतिवर्ष तैयार होम्योपैथिक चिकित्साभ्यासियों की संख्या।
3. राज्य परिषद/होम्योपैथी बोर्ड में पंजीकृत होम्योपैथिक चिकित्साभ्यासियों की संख्या।
4. राज्य सरकार में सेवारत होम्योपैथी चिकित्साभ्यासियों की संख्या।
5. राज्य, विशेष रूप से ग्रामीण/कठिन क्षेत्रों में होम्योपैथी चिकित्सकों के रिक्त सरकारी पदों की संख्या।
6. राज्य रोजगार कार्यालय में पंजीकृत होम्योपैथी चिकित्सकों की संख्या।
7. राज्य में होम्योपैथी चिकित्सकों तथा कुल जनसंख्या का अनुपात।
8. चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना/प्रवेश क्षमता में वृद्धि/पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने पर राज्य में अर्हता प्राप्त चिकित्सकों की जन शक्ति की कमी की समस्या किस प्रकार से हल होगी तथा राज्य में चिकित्सा कर्मियों की उपलब्धता में किस प्रकार से सुधार आएगा।

9. छात्र, जो राज्य के मूल निवासी नहीं हैं, उनपर राज्य सरकार द्वारा राज्य में प्रवेश पाने के लिए प्रतिबंधों, यदि कोई हैं, का उल्लेख करें।
10. प्रस्तावित चिकित्सा महाविद्यालय खोलने/प्रवेश क्षमता बढ़ाने/नया अथवा उच्चतर पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने के लिए पूर्ण औचित्य।
11. प्राप्य होम्योपैथी चिकित्सक-जनसंख्या अनुपात।

.....(व्यक्ति का नाम) ने .....में होम्योपैथी महाविद्यालय स्थापित करने के लिए आवेदन किया है। प्रस्ताव पर ध्यानपूर्वक विचार करने के पश्चात.....सरकार ने आवेदक.....को.....सीटों के साथ होम्योपैथी महाविद्यालय स्थापित करने के लिए/.....से .....सीटों में प्रवेश क्षमता बढ़ाने/.....पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने का निर्णय लिया है।

यह प्रमाणित किया जाता है कि:-

- (क) आवेदक के पास 25 शैय्याओं वाला अस्पताल है, जिसकी स्थापना .....वर्ष को हुई थी;
- (ख) होम्योपैथी महाविद्यालय की स्थापना/प्रवेश क्षमता में वृद्धि/.....पाठ्यक्रम प्रारम्भ करना जनहित में वांछनीय है; और
- (ग) .....(न्यास का नाम) द्वारा,.....में होम्योपैथी महाविद्यालय की स्थापना/प्रवेश क्षमता में वृद्धि/.....पाठ्यक्रम प्रारम्भ करना व्यावहारिक है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित/विद्यमान चिकित्सा महाविद्यालय में केंद्रीय होम्योपैथी परिषद् के मानदंडों के अनुसार पर्याप्त नैदानिक सामग्री है। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि यदि प्रार्थी होम्योपैथी महाविद्यालय के लिए केंद्रीय होम्योपैथी परिषद् के मानदंडों के अनुसार अवसंरचना उपलब्ध कराने में असमर्थ रहता है और केंद्र सरकार द्वारा आगे प्रवेश रोक दिया जाता है तो राज्य सरकार केंद्र सरकार की अनुमति से महाविद्यालय में पहले से प्रविष्ट छात्रों की पूरी जिम्मेदारी लेगी।

भवदीय

(सक्षम प्राधिकारी के हस्ताक्षर)  
कार्यालय मुहर

प्रपत्र 5

(देखें विनियम 6 के उपखंड 1(घ) 2(ख) और 3(ख))

संबद्धता के बारे में सहमति

क्रमांक.....

विश्वविद्यालय.....

स्थान.....

दिनांक.....

स्थानीय जांच समिति की रिपोर्ट के आधार पर, ..... विश्वविद्यालय ने भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा केंद्रीय होम्योपैथी परिषद् अधिनियम, 1973 (1973 का 59) की धारा 12-क के अधीन अनुमति देने की शर्त पर ..... (आवेदक का नाम) को ..... में ..... सीटों के साथ प्रस्तावित होम्योपैथी महाविद्यालय को संबद्धता देना / ..... पाठ्यक्रम में ..... सीटों से ..... तक बढ़ाना / ..... पाठ्यक्रम प्रारम्भ करना सैद्धांतिक रूप से स्वीकार कर लिया है।

रजिस्ट्रार

\*टिप्पणी :- आवेदक को सम्बद्धता की सहमति जारी करते समय, प्रस्तावित चिकित्सा महाविद्यालय की विस्तृत निरीक्षण रिपोर्ट के साथ इसकी एक प्रति सचिव, आयुर्वेद, योग व प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध एवं होम्योपैथी, भारतीय रेडक्रास सोसाइटी बिल्डिंग, नई दिल्ली-110001 को प्रेषित करें।

## प्रपत्र 6

(देखें विनियम 7)

केंद्रीय होम्योपैथी परिषद की अनुशंसा

सं. -----

केंद्रीय होम्योपैथी परिषद-----

स्थान -----

दिनांक -----

सेवा में

सचिव,

भारत सरकार,

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय,

आयुर्वेद, योग व प्राकृतिक चिकित्सा, सिद्ध, यूनानी एवं

होम्योपैथी (आयुष) विभाग,

भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी बिल्डिंग,

1, रेड क्रॉस रोड,

नई दिल्ली -110 001

महोदय,

मुझे उपर्युक्त विषय पर आपके पत्रांक ----- दिनांक -----

के संदर्भ में यह कहने का निदेश हुआ है कि ----- (राज्य सरकार/संघ

राज्य क्षेत्र/न्यास का नाम) द्वारा -----में स्थापित -----

(कालेज का नाम ) में उपलब्ध भौतिक और अन्य अवसंरचनागत सुविधाओं का केंद्रीय

होम्योपैथी परिषद द्वारा नियुक्त निरीक्षण दल द्वारा निरीक्षण किया गया। निरीक्षण

प्रतिवेदन की प्रति संलग्न है।

2. निरीक्षण प्रतिवेदन तथा अन्य संबंधित सभी कागजात परिषद की कार्यकारिणी समिति के सम्मुख दिनांक -----को आयोजित बैठक में रखे गए थे। प्रस्ताव पर ध्यानपूर्वक विचार करने के पश्चात्, कार्यकारिणी समिति ने आवेदन को



अनुमोदित करने/ अनुमोदित न करने हेतु अनुशंसा करने का विनिश्चय किया। कार्यकारिणी समिति के निर्णय को दिनांक.....को आयोजित सामान्य निकाय की बैठक में पहले अनुमोदित किया जा चुका है।

3. स्कीम एवं निरीक्षण प्रतिवेदन पर ध्यानपूर्वक विचार करने के पश्चात केंद्रीय परिषद निम्न निर्णय पर पहुंची है:-

- (i) कि आवेदक पात्रता और अर्हक मानदंडों को पूरा करता है।
- (ii) कि आवेदक के पास केंद्रीय परिषद द्वारा यथा उल्लिखित, प्रस्तावित प्रवेश क्षमता के अनुरूप आवश्यक अवसंरचना सुविधा, छात्रों एवं छात्राओं के लिए छात्रावास की सुविधा सहित होम्योपैथी महाविद्यालय स्थापित करने के लिए व्यावहारिक तथा समयबद्ध कार्यक्रम है, ताकि अनुमति प्रदान करने की तिथि के चार वर्ष के भीतर सुसज्जित महाविद्यालय स्थापित हो सके।
- (iii) कि आवेदक विद्यमान अस्पताल के उन्नयन अथवा महाविद्यालय के प्रांगण में ही नया अस्तपाल स्थापित करने अथवा दोनों के माध्यम से केंद्रीय परिषद द्वारा विनिर्दिष्ट अतिरिक्त शैथ्याओं तथा अवसंरचनात्मक सुविधाओं को महाविद्यालय की स्थापना के चार वर्ष के भीतर उपलब्ध कराने के लिए व्यावहारिक तथा समयबद्ध कार्यक्रम रखता है।
- (iv) कि आवेदक के पास प्रस्तावित महाविद्यालय को स्थापित करने एवं बनाए रखने के लिए आवश्यक प्रबंधकीय एवं वित्तीय क्षमता तथा शिक्षण अस्पताल सहित सहायक सुविधाएं हैं।
- (v) कि आवेदक के पास केंद्रीय परिषद द्वारा विहित मानदंडों के अनुरूप संकाय और स्टाफ की भर्ती के लिए व्यावहारिक और समयबद्ध कार्यक्रम है तथा आवश्यक पद सृजित समझे जावें।
- (vi) कि आवेदक ने किसी छात्र को प्रवेश नहीं दिया है।
- (vii) अवसंरचना तथा संकाय में कमियां, यदि कोई हों (और यह भी इंगित करें कि वे दूर होने योग्य हैं या नहीं)।

अवसंरचना सुविधाओं की स्थिति निम्न प्रकार है :-

क्र.सं.	केंद्रीय होम्योपैथी परिषद् के मानदंडों के अनुसार स्थापना के समय में आवश्यकताएं	उपलब्ध	टिप्पणी
1.	स्टाफ		
2.	भवन		
3.	उपकरण		
4.	संकाय		
5.	भेषजशाला		
6.	वनौषधि उद्यान		
7.	अन्य आवश्यकताएं		

उपर्युक्त परिस्थिति में, परिषद् भारत सरकार को इस आशय पत्र जारी करने/अथवा जारी न करने के लिए अनुशंसा करती है।

(यदि परिषद् आशय पत्र जारी करने की अनुशंसा नहीं करती है)

स्कीम को अनुमोदित न करने के कारण निम्न प्रकार हैं:-

- (क)-----  
 (ख)-----  
 (ग)-----

स्कीम मूल रूप से वापिस की जाती है।

डॉ. ललित वर्मा, रजिस्ट्रार-सह-सचिव केंद्रीय होम्योपैथी परिषद्

[सं. विज्ञापन III/4/147/11/असा.]

अनुलग्नक:- निरीक्षण प्रतिवेदन तथा स्कीम।

**अनुसूची**  
(देखें विनियम 5)

आवेदन पत्र प्राप्त करने तथा उस पर कार्रवाई के लिए समय-सीमा

क्र.सं.	कार्रवाई की स्थिति	अंतिम तिथि
1.	केंद्र सरकार द्वारा आवेदन की प्राप्ति	किसी भी वर्ष में 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक (दोनों दिन सम्मिलित हैं)
2.	तकनीकी छानवीन के लिए भारत सरकार द्वारा आवेदन पत्रों को केंद्रीय होम्योपैथी परिषद् को प्रेषित करना।	31 मई
3.	केंद्रीय परिषद् द्वारा केंद्रीय सरकार को अनुशंसाएं भेजना।	31 अगस्त
4.	केंद्र सरकार द्वारा जांच, यदि आवश्यक हो, करने के लिए धारा 13(क) की उपधारा (5) के अधीन, कोई हो, तो पत्र जारी करना।	30 सितम्बर
5.	आवेदक से पूछे गए प्रश्नों के उत्तर की प्राप्ति	31 अक्टूबर
6.	अनुमति पत्र जारी करने के लिए विचारार्थ केंद्रीय परिषद् द्वारा स्कीम की प्राप्ति।	30 नवम्बर
7.	अनुमति पत्र जारी करने हेतु केंद्रीय सरकार को केंद्रीय परिषद् की अनुशंसा।	28 फरवरी
8.	केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमति पत्र जारी करना।	31 मार्च

टिप्पणी :- (1) होम्योपैथी महाविद्यालय खोलने के लिए आवेदक द्वारा आवेदन पत्र के भाग-1 में दी गई सूचना अर्थात् संगठन, मूल अवसंरचना सुविधाएं, आवेदक की प्रबंधकीय एवं वित्तीय क्षमता के सम्बन्ध में दी गई सूचना की केंद्रीय परिषद् आवेदन के माध्यम से जांच करेगी और तत्पश्चात् केंद्रीय परिषद् केंद्रीय सरकार को आशय पत्र जारी करने की अनुशंसा करेगी।

(2) यदि होम्योपैथी महाविद्यालय खोलने के लिए उपर्युक्त समय-सीमा का अनुपालन नहीं किया गया हो और केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रवेश कर लिया गया हो, तो नए चिकित्सा महाविद्यालय को नवीनकरण की अनुमति नहीं दी जाएगी।

**CENTRAL COUNCIL OF HOMOEOPATHY****NOTIFICATION**

New Delhi, the 30th September, 2011

**No. 12-6/2001-CCH(Pt.).**—In exercise of the powers conferred by section 33 read with section 12 A of the Homoeopathy Central Council Act, 1973(59 of the 1973), the Central Council of Homoeopathy, with the previous sanction of the Central Government, hereby makes the following regulations, namely:-

1. Short title and commencement.-

(1)These regulations may be called the Establishment of New Medical College, (Opening of New or Higher Course of Study or Training and Increase of Admission Capacity by a Medical College) Regulations, 2011.

(2)They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definition.-

In these regulations, unless the context otherwise requires,-

(a)"Act" means the Homoeopathy Central Council Act, 1973;

(b)"Form" means a Form annexed to these regulations;

(c)"section" means a section of the Act;

(d)words and expressions used herein and not defined but defined in the Act shall have the meanings respectively assigned to them in the Act

3. Permission for establishment of a medical college, opening of new or higher course of study or training and increase of admission capacity.-

Any person intending to establish a medical college or any medical college intending to open a new or higher course of study or training or intending to increase admission capacity in any course of study or training shall follow the procedure and criteria mentioned in regulations 4 to 6 and submit a scheme to the Central Government along with an application in the form specified in regulation 4.

4. Application Form of Scheme.-

(1)Any person intending to establish a medical college shall submit the scheme along with an application in Form -1.

(2)Any medical college intending to open a new or higher course of study or training shall submit the scheme along with an application in Form -2.

(3) Any medical college intending to increase its admission capacity in any course of study or training shall submit the scheme along with an application in Form - 3.

5. Authority to whom the scheme and application is to be submitted. —

The applications and schemes under regulation 4 shall be submitted to the Secretary to the Government of India, Department of Ayurveda, Yoga and Naturopathy, Unani, Siddha and Homoeopathy (AYUSH) as per the schedule annexed to the regulations.

6. Eligibility for making an application: —

(1) For making an application under sub-regulation (1) of regulation 4, a person or a medical college shall be eligible if, -

(a) his one of the objectives is to impart education about Homoeopathy;

(b) owns or possesses on lease of ninety nine years, a suitable single plot of land, measuring not less than 2.5 acres if the proposal is for admitting up to fifty student, and not less than four acres, if the proposal is for admitting up to one hundred students, and undertake to establish the medical college in the said plot of land;

(c) has obtained 'No Objection Certificate' in Form- 4 from the concerned State Government for establishing a new medical college at the proposed site;

(d) has obtained a 'Consent of Affiliation' in Form- 5 for establishing a new medical college from a University established under any Central or State statute;

(e) owns and manages a hospital in Homoeopathy containing not less than twenty five beds with necessary facilities and infrastructure;

(f) has not already admitted students in any class or standard or course or training of the proposed medical college; and

(g) is in a position to provide two performance bank guarantees from a Scheduled Commercial Bank valid for a period of five years in favour of the Central Council of Homoeopathy, New Delhi as follows:

(i) for the establishment of medical college —

A. upto 50 seats - rupees one crore;

B. 51-100 seats - rupees twenty lakhs per ten or less seats ;

(ii) for the establishment of the teaching hospital and its infrastructure facilities —

A. upto 150 beds - rupees one and a half crore;

B. additional beds - rupees 10 lakhs per 10 or less beds:

Provided that the above condition shall not apply to the persons who are State Governments or Union territories if they give an undertaking to provide funds in their plan budget regularly till the requisite facilities are fully provided as per the time bound programme.

- (2) For making an application under sub-regulation (2) of regulation 4, a medical college shall be eligible if, —
- (a) has obtained the permission of the concerned State Government or the Union Territory Administration (Form- 4);
- (b) has obtained the concurrence of the University established under any Central or State Statute (Form- 5);
- (c) is able to produce documentary evidence in support of additional financial resources, staff, space, equipment and other infrastructure as per Central Council norms;
- (d) is recognized by the Central Council for running Undergraduate or Postgraduate course in Homoeopathy for at least 5 1/2 and 3 years respectively;
- (e) is exempted by the Central Government for being owned or managed by the Central Government or State Government from fulfilling the criteria specified in sub- clause (d);
- (f) selection of students for post-graduate courses is made strictly on the basis of academic merit as prescribed by Central Council;
- (g) the nomenclature of post-graduate degree or diploma and courses and teacher-student ratio is as laid down in the concerned Regulations;
- (h) the Homoeopathy College/institution provides a bank guarantee in favour of the Central Council of Homoeopathy from a Scheduled Commercial Bank for providing additional infrastructural facilities for each discipline as follows:-

A. Post-graduate course	rupees fifty lakhs
B. Any other recognised course	rupees thirty lakhs :

Provided that the above condition shall not apply to colleges -

- (i) who are governed by the State Governments; provided that they give an undertaking to provide funds in their Plan Budget regularly till facilities are fully provided as per the time bound programme indicated by them; and
- (ii) for opening any course in the subject where the Council has already recognized the post-graduate course on the same subject.

(3) For making application under sub-regulation (3) of regulation 4, a medical college shall be eligible if,

- (a) has obtained the permission of the concerned State Government or the Union Territory Administration (Form- 4);
- (b) has obtained the concurrence of the University established under any Central or State Statute (Form-5);
- (c) has produced documentary evidence in support of additional financial resources, staff, space, equipment and other infrastructure as per Central Council norms,

(d) has completed a period of five and a half year in case of Undergraduate course and three years in case of Postgraduate course(s).

(e) recognized by the Central Council for running Under-graduate/Post-graduate/ /any other recognised course;

(f) the ratio of teaching staff and students is maintained as laid down in the regulation on Minimum Standards and requirements for admission in the medical college;

(g) the maximum number of admissions in Undergraduate course does not exceed 100 ;

(h) provides a bank guarantee in favour of the Central Council of Homoeopathy, New Delhi from a Scheduled Commercial Bank for providing additional infrastructural facilities for each course/discipline as follows:-

A. Under-graduate course	Up to 50 seats	rupees twenty five lakhs
	Between 51 to 100 seats	rupees fifty lakhs
B. Post-graduate degree:	per seat	rupees five lakhs
C. Any other recognized course	per seat	rupees two lakhs :

Provided that the above condition shall not apply to colleges who are governed by the State or Union territory Governments provided that they give an undertaking to provide funds in their Plan Budget regularly till facilities are fully provided as per the time bound programme indicated by them.

7. Recommendation of the Central Council of Homoeopathy. —

On receipt a scheme from the Central Government under sub-section (2) of section 13 A, the Central Council shall submit its recommendations to the Central Government in Form-6.

8. Fee to be submitted along with application. —

An application and scheme to be submitted under regulation 4 shall be accompanied by the following admission fee by way of a demand draft or pay order payable to the 'Central Council of Homoeopathy' New Delhi —

A. to establish medical college	rupees three lakhs fifty thousand.
B. to open a new or higher course of study or training	rupees two lakhs per course.
C. to increase admission capacity	rupees two lakhs.

9. Permission Order. —

The order passed by the Central Government under sub-section (9) of section 12A shall clearly indicate the preliminary requirement about setting up of buildings, infrastructural facilities, medical and allied equipments, faculty and staff before admitting the first batch of students.

## FORM - I

(see sub-regulation (1) of regulation 4)

## APPLICATION FOR PERMISSION TO ESTABLISH A NEW MEDICAL COLLEGE

## Part - I

1. Name of the applicant \_\_\_\_\_  
(in BLOCK letters)
2. Complete Address with Pin code, telephone nos., fax and e-mail \_\_\_\_\_  
(in BLOCK letters)
3. Address of Head Office and \_\_\_\_\_  
Branch Office, if any, with Pin code,  
Telephone nos, telex, fax and e-mail) \_\_\_\_\_
4. Status of applicant whether \_\_\_\_\_  
State Government/Union Territory/  
or University or Trust \_\_\_\_\_
5. Registration/incorporation \_\_\_\_\_  
(Number and date, if any)
6. Name and address of Affiliating \_\_\_\_\_  
University
7. Basic Infrastructure \_\_\_\_\_  
Facilities available for Medical college  
and attached Hospital \_\_\_\_\_  
(Attach separate sheet if necessary)
8. Composition of the Trust, \_\_\_\_\_  
Particulars of members of the Society/  
Trust, Head or Project Director of the  
proposed Medical College, head of the \_\_\_\_\_  
existing Hospital. Qualifications  
and Experience in the field of Medical \_\_\_\_\_  
education of members, Head of Project  
or Director and head of the Hospital. \_\_\_\_\_
9. Financial Capability \_\_\_\_\_  
( Balance sheet for the last three years  
to be provided if the applicant is a \_\_\_\_\_  
Trust. Details of the resources to be prescribed).
10. Name and Address of the \_\_\_\_\_  
proposed Homoeopathy College
11. Characteristics of proposed site of the Medical College: -
  - (a) topography \_\_\_\_\_
  - (b) plot size \_\_\_\_\_
  - (c) permissible floor space index \_\_\_\_\_
  - (d) ground coverage \_\_\_\_\_
  - (e) building height \_\_\_\_\_
  - (f) road access \_\_\_\_\_
  - (g) availability of public transport \_\_\_\_\_



- (h) electric supply \_\_\_\_\_  
 (i) water Supply \_\_\_\_\_  
 (j) sewerage connection \_\_\_\_\_  
 (k) communication facilities \_\_\_\_\_  
 (l) Master Plan of the proposed Medical \_\_\_\_\_  
 College (m) Layout plans, sections \_\_\_\_\_  
 (n) elevations and floor wise area \_\_\_\_\_  
 calculations \_\_\_\_\_

### 12. Educational Programme

- (a) proposed annual intake capacity of students \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 (b) mode of admission \_\_\_\_\_  
 (c) reservation/preferential allocation of seats. \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

### 13. Functional programme

- (a) Department wise and service \_\_\_\_\_  
 wise functional requirements \_\_\_\_\_  
 (b) Area distribution and room \_\_\_\_\_  
 wise sitting capacity. \_\_\_\_\_

### 14. Equipment programme

Department wise list of equipments with year wise schedule of quantities and specifications

- (a) medical equipments \_\_\_\_\_  
 (b) scientific equipments \_\_\_\_\_  
 (c) allied equipments \_\_\_\_\_

### 15. Man-power programme Department wise and year wise provisions-

- (a) full time teaching staff \_\_\_\_\_  
 (b) technical staff \_\_\_\_\_  
 (c) administrative staff \_\_\_\_\_  
 (d) ancillary staff \_\_\_\_\_  
 (e) salary structure \_\_\_\_\_  
 (f) mode of payment of salary \_\_\_\_\_  
 (g) recruitment procedure \_\_\_\_\_  
 (h) recruitment calendar \_\_\_\_\_

### 16. Building programme

- (a) departments, lecture theatres, \_\_\_\_\_  
 examination hall, museum etc \_\_\_\_\_  
 (b) staff quarters \_\_\_\_\_  
 (c) staff and students hostels \_\_\_\_\_  
 (d) administrative office \_\_\_\_\_  
 (e) library \_\_\_\_\_  
 (f) auditorium \_\_\_\_\_  
 (g) teaching pharmacy \_\_\_\_\_  
 (h) mortuary \_\_\_\_\_  
 (i) cultural and recreational center \_\_\_\_\_

- (j) sports complex \_\_\_\_\_  
(k) medicinal plants garden \_\_\_\_\_  
(l) Other facilities \_\_\_\_\_  
(state name of other facilities) \_\_\_\_\_

17. Proposed Phase programme and quarter wise schedule of activities indicating -

- (a) commencement and completion \_\_\_\_\_  
of building design  
(b) local body approvals \_\_\_\_\_  
(c) civil construction \_\_\_\_\_  
(d) provision of engineering services and equipments \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
(e) requirement of staff \_\_\_\_\_  
(f) schedule of admission \_\_\_\_\_

18. Project cost

- (a) capital cost of land \_\_\_\_\_  
(b) buildings \_\_\_\_\_  
(c) plant and machinery \_\_\_\_\_  
(d) medical, scientific and allied equipments \_\_\_\_\_  
(e) furniture and fixtures \_\_\_\_\_  
(f) Preliminary and preoperative expenses \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

19. Means of financing the project

- (a) contribution of the applicant \_\_\_\_\_  
(b) grants \_\_\_\_\_  
(c) donations \_\_\_\_\_  
(d) equity \_\_\_\_\_  
(e) term loans \_\_\_\_\_  
(f) other sources, if any \_\_\_\_\_

20. Revenue assumptions

- (a) fee structure \_\_\_\_\_  
(b) hospital user charges \_\_\_\_\_  
(c) estimated annual revenue from various sources \_\_\_\_\_

21. Expenditure assumptions

- (a) operating expenses \_\_\_\_\_  
(b) depreciation \_\_\_\_\_

22. Operating results

- (a) income statement \_\_\_\_\_  
(b) cash flow statement \_\_\_\_\_  
(c) projected balance sheets \_\_\_\_\_

23. Name, address and details of the \_\_\_\_\_  
existing hospital

- (a) bed strength \_\_\_\_\_  
 (b) bed distribution, bed occupancy \_\_\_\_\_  
 and whether a norm of three in-patients per student would be fulfilled. \_\_\_\_\_  
 (c) built up area \_\_\_\_\_  
 (d) clinical and para clinical disciplines \_\_\_\_\_  
 (e) number of out patient departments and department wise attendance  
 \_\_\_\_\_  
 (f) architectural and layout plans \_\_\_\_\_  
 (g) list of medical/allied equipments \_\_\_\_\_  
 (h) capacity and configuration of \_\_\_\_\_  
 engineering services  
 (i) hospital services, administrative \_\_\_\_\_  
 services, other ancillary and support services (category wise staff strength)  
 \_\_\_\_\_

## Part II

### UPGRADATION AND EXPANSION PROGRAMME:

24. Details about the additional \_\_\_\_\_  
land for expansion of the  
existing hospital \_\_\_\_\_

- (a) land particulars \_\_\_\_\_  
 (b) location of medical college and proposed hospital  
 \_\_\_\_\_  
 (c) topography \_\_\_\_\_  
 (d) plot size \_\_\_\_\_  
 (e) permissible floor space index \_\_\_\_\_  
 (f) ground coverage \_\_\_\_\_  
 (g) building height \_\_\_\_\_  
 (h) road access \_\_\_\_\_  
 (i) availability of public transport \_\_\_\_\_  
 (j) electric supply \_\_\_\_\_  
 (k) water Supply \_\_\_\_\_  
 (l) sewerage connection \_\_\_\_\_  
 (m) communication facilities \_\_\_\_\_  
 (n) Master Plan of the proposed Medical College \_\_\_\_\_  
 (o) Layout plans, sections \_\_\_\_\_  
 (p) elevations and floor wise area calculations \_\_\_\_\_

### 25. Upgraded Clinical Programme:-

Year wise details of the additional \_\_\_\_\_  
clinical and para clinical activities envisaged under the expansion  
programme \_\_\_\_\_

## 26. Upgraded functional programme: -

- (a) specialty wise and service wise functional requirements \_\_\_\_\_  
 (b) area distribution \_\_\_\_\_  
 (c) specialty wise bed distribution \_\_\_\_\_

## 27. Building expansion programme: -

Year wise additional built-up area to be provided for -

- (a) departments, lecture theatres, \_\_\_\_\_  
 examination hall etc  
 (b) hospital \_\_\_\_\_  
 (c) staff quarters \_\_\_\_\_  
 (d) staff and students hostels \_\_\_\_\_  
 (e) other ancillary buildings \_\_\_\_\_

## 28. Planning and Layout: -

Upgraded master plan of the hospital complex along with:-

- (a) Layout plans \_\_\_\_\_  
 (b) Sections \_\_\_\_\_  
 (c) Elevations \_\_\_\_\_  
 (d) Floor wise area calculation of the hospital \_\_\_\_\_  
 (e) Floor wise area calculation of ancillary buildings \_\_\_\_\_

29. Details about up gradation \_\_\_\_\_  
 or addition in the capacity and configuration of \_\_\_\_\_  
 engineering services and hospital services \_\_\_\_\_

## 30. Equipment programme:

Upgraded department wise list of equipments with year wise schedule of quantities and specifications -

- (a) Medical equipments \_\_\_\_\_  
 (b) scientific equipments \_\_\_\_\_  
 (c) allied equipments \_\_\_\_\_

## 31. Upgraded manpower programme:

Department wise and year wise provisions-

- (a) full time teaching staff \_\_\_\_\_  
 (b) technical staff \_\_\_\_\_  
 (c) administrative staff \_\_\_\_\_  
 (d) ancillary staff \_\_\_\_\_  
 (e) salary structure \_\_\_\_\_

- (f) mode of payment of salary \_\_\_\_\_  
 (g) recruitment procedure \_\_\_\_\_  
 (h) recruitment calendar \_\_\_\_\_

32. Expansion of scheme - proposed phase programme and quarter wise schedule of activities indicating -

- (a) commencement and completion \_\_\_\_\_ of building design  
 (b) local body approvals \_\_\_\_\_  
 (c) civil construction \_\_\_\_\_  
 (d) provision of engineering and hospital services \_\_\_\_\_  
 (e) provision of medical and allied equipments \_\_\_\_\_  
 (f) requirement of staff \_\_\_\_\_  
 (g) schedule of admission \_\_\_\_\_

33. Project cost

- (a) capital cost of land \_\_\_\_\_  
 (b) buildings \_\_\_\_\_  
 (c) plant and machinery \_\_\_\_\_  
 (d) medical, scientific and allied equipments \_\_\_\_\_  
 (e) furniture and fixtures \_\_\_\_\_  
 (f) preliminary and preoperative expenses \_\_\_\_\_

34. Means of financing the project :-

- (a) contribution of the applicant \_\_\_\_\_  
 (b) grants \_\_\_\_\_  
 (c) donations \_\_\_\_\_  
 (d) equity \_\_\_\_\_  
 (e) term loans \_\_\_\_\_  
 (f) other sources, if any \_\_\_\_\_

35. Revenue assumptions

- (a) fee structure \_\_\_\_\_  
 (b) hospital user charges \_\_\_\_\_  
 (c) estimated annual revenue from various sources \_\_\_\_\_

36. Expenditure assumptions

- (a) operating expenses \_\_\_\_\_  
 (b) depreciation \_\_\_\_\_

37. Operating results

- (a) income statement \_\_\_\_\_  
 (b) cash flow statement \_\_\_\_\_  
 (c) projected balance sheets \_\_\_\_\_

SIGNATURE OF APPLICANT

**List of enclosures:**

1. Certified copy of Bye Laws/Memorandum and Articles of Association/Trust deed.
2. Certified copy of certificate of registration/incorporation.
3. Annual reports and Audited Balance sheets for the last three years.
4. Certified copy of the title deeds of the total available land as proof of ownership.
5. Certified copy of zoning plans of the available sites indicating their land use.
6. Proof of ownership of existing hospital
7. Certified copy of the 'No Objection Certificate' issued by the respective State Government or Union Territory Administration.
8. Certified copy of the consent of affiliation issued by a recognized University.
9. Authorization letter addressed to the bankers of the applicant authorizing the Central Government/Central Council of Homoeopathy to make independent enquiries regarding the financial track record of the applicant.
10. Other enclosures as per the various parts of applications (Please indicate details).

**NOTE:** All the copies shall be attested by a gazetted officer.

## FORM-2

(See sub-regulation (2) of regulation 4)

Application for permission to open a new or higher Course of study or training

1. Name of the applicant (in BLOCK letters) \_\_\_\_\_
2. Complete Address with PIN code, telephone nos., fax and e-mail)  
(in BLOCK letters) \_\_\_\_\_
3. Address of Head Office and Branch Office, if any, with Pin code,  
telephone nos, telex, fax and e-mail) \_\_\_\_\_
4. Status of applicant whether State Government/Union Territory/  
or University or Trust \_\_\_\_\_
5. Registration/incorporation \_\_\_\_\_  
(Number and date, if any)
6. Name and address of Affiliating \_\_\_\_\_  
University
7. Year of admission of first batch \_\_\_\_\_  
for undergraduate course
8. Month and year of completion of \_\_\_\_\_  
first admitted UG batch
9. No. of seats approved and date of Recognition by CCH \_\_\_\_\_  
for existing Under Graduate/Post Graduate course(s)
10. Name of the proposed new \_\_\_\_\_  
or higher course(s) of study
11. Number of seats applied for \_\_\_\_\_  
in each course
12. Details of:
  - (a) additional financial allocation- \_\_\_\_\_
  - (b) provision for additional space, equipment and other \_\_\_\_\_  
infrastructure facilities-
  - (c) provision of recruitment of \_\_\_\_\_  
additional staff-
13. Any other relevant information \_\_\_\_\_

Date : Signature of Applicant

Place:

Full Name:

Designation:

**List of enclosures:**

1. Attested copy of the 'No Objection Certificate' issued by the respective State Government/Union Territory Administration
  2. Attested copy of the concurrence of affiliation issued by a recognized University.
  3. Authorization letter addressed to the Bankers of the Applicant authorizing the Central Government/Central Council of Homoeopathy to make independent enquiries regarding the financial track record of the medical college/institution.
  4. Attested copy of the letter from Central Council of Homoeopathy approving recognition of the college/institution, if already approved by Central Council of Homoeopathy.
- NOTE:** All the copies shall be attested by a gazetted officer.



## FORM-3

(See sub-regulation (3) of regulation 4)

## Application for permission to increase the admission capacity

1. Name of the applicant \_\_\_\_\_  
(in BLOCK letters)
  2. Complete Address with PIN code, telephone nos., fax and e-mail) \_\_\_\_\_  
(in BLOCK letters)
  3. Address of Head Office and Branch Office, if any, with Pin code, \_\_\_\_\_  
telephone nos, telex, fax and e-mail)
  4. Status of applicant whether State Government/Union Territory/ \_\_\_\_\_  
or University or Trust
  5. Registration/incorporation \_\_\_\_\_  
(Number and date, if any)
  6. Name and address of Affiliating \_\_\_\_\_  
University
  7. Year of admission of first batch \_\_\_\_\_  
for undergraduate course
  8. Month and year of completion of \_\_\_\_\_  
first admitted Under Graduate batch
  9. No. of Seats approved and date of Recognition by CCH \_\_\_\_\_  
for existing Under Graduate/Post Graduate course(s)
  10. Name of the course(s) of study applied \_\_\_\_\_  
for increase in admission capacity
  11. Number of seats applied for \_\_\_\_\_  
in each subject/course
  12. Details of :
    - (a) additional financial allocation- \_\_\_\_\_
    - (b) provision for additional space, equipment and other \_\_\_\_\_  
infrastructural facilities-
    - (c) provision of recruitment of additional staff- \_\_\_\_\_
  13. Any other relevant information \_\_\_\_\_
- Date : \_\_\_\_\_  
Signature of Applicant: \_\_\_\_\_  
Place: \_\_\_\_\_  
Full Name: \_\_\_\_\_  
Designation: \_\_\_\_\_

**List of Enclosures:**

1. **Attested copy of the 'No Objection Certificate' issued by the respective State Government/Union Territory Administration on the prescribed proforma.**
2. **Attested copy of the concurrence of the University to which the college/institute is affiliated.**
3. **Authorization letter addressed to the Bankers of the Applicant authorizing the Central Government/ Central Council of Homoeopathy to make independent enquiries regarding the financial track record of the medical college/institution.**
4. **Attested copy of the letter from Central Council of Homoeopathy approving recognition of the college/institution, if already approved.**

**NOTE:** All the copies shall be attested by a gazetted officer.

## FORM-4

(See sub clause 1(c), 2(a) and 3(a) of regulation 6)  
No Objection Certificate from the State Government

No \_\_\_\_\_  
Government of \_\_\_\_\_  
The Department of AYUSH,

To,  
Dated, the \_\_\_\_\_  
(Name and address of applicant),

Subject : No Objection Certificate

Reference :

Sir,

The desired "No Objection Certificate" in respect of following facts is being issued:-

- (1) Number of Homoeopathic institutions already existing in the State.
- (2) Number of seats available or number of Homoeopathic practitioners being produced annually.
- (3) Number of Homoeopathic practitioners registered with the State Council/Board of Homoeopathy.
- (4) Number of Homoeopathy practitioners in State Government Service.
- (5) Number of vacant Government posts of Homoeopathy doctors in the State, particularly in rural/difficult areas.
- (6) Number of Homoeopathy doctors registered with the State Employment Exchanges.
- (7) Homoeopathy Doctors-population ratio in the State.
- (8) How the establishment of the medical College/increase in admission capacity/starting \_\_\_\_\_ course would resolve the problem of deficiencies of qualified medical personnel in the State and improve the availability of such medical manpower in the State.
- (9) The restrictions imposed by the State Government, if any, on students who are not domiciled in the State from obtaining admissions in the State be specified.
- (10) Full justification for opening of the proposed medical College/increase in admission capacity/starting new or higher course.
- (11) Homoeopathy Doctors-population ratio to be achieved.

The (name of the person) \_\_\_\_\_ has applied for establishment of Homoeopathy college at \_\_\_\_\_. On careful consideration of the proposal, the Government of \_\_\_\_\_ has decided to issue 'No Objection Certificate' to the applicant for the establishment of a Homoeopathy College with \_\_\_\_\_ (number) seats/increase in admission capacity from \_\_\_\_\_ to \_\_\_\_\_ seats/starting \_\_\_\_\_ course.

It is certified that: -

(a) the applicant owns and manages a 25-bedded hospital, which was established in the year \_\_\_\_\_,

(b) it is desirable to establish a Homoeopathy College in the public interest /increase in admission capacity/starting \_\_\_\_\_ course and

(c) establishment of Homoeopathy College/increase in admission capacity/starting \_\_\_\_\_ course at \_\_\_\_\_ by (the name of Trust) is feasible.

It is also certified that adequate clinical material as per norms of the Central Council of Homoeopathy is available with the proposed/existing Medical College. It is further certified that in case the applicant fails to create infrastructure for the Homoeopathy College as per Central Council of Homoeopathy norms and fresh admissions are stopped by the Central Government, the State Government shall take over the responsibility of the students already admitted in the College with the permission of the Central Government.

Yours faithfully,  
(Signature of the Competent Authority)  
Office Seal

## FORM- 5

(See sub clause 1(d), 2(b) and 3(h) of regulation 6)

## CONSENT OF AFFILIATION

No .....

University .....

Place .....

Dated .....

On the basis of the report of the Local Inquiry Committee, the University of -----has agreed in principle, to affiliate the proposed Homoeopathy College with admission capacity of -----seats to be established at -----by the (name of the applicant) increase in admission capacity from-- --to-----seats of -----course/starting -----course. subject to grant of permission by the Government of India, Ministry of Health and Family Welfare, New Delhi under section 12A of the Homoeopathy Central Council Act, 1973 (59 of 1973).

REGISTRAR

\* Note:- While issuing Consent of Affiliation to the applicant, a copy of the same along with detailed inspection report of the proposed medical college may be provided simultaneously to the Secretary, Department of Ayurveda, Yoga & Naturopathy, Unani, Siddha and Homeopathy, Indian Red Cross Society Building, New Delhi-110 001.

## FORM- 6

(See regulation 7)

## Recommendation of the Central Council of Homoeopathy

No .....

Central Council of Homocopathy .....

Place .....

Dated .....

To

Secretary to the Government of India  
 Ministry of Health and Family Welfare  
 Department of Ayurveda, Yoga & Naturopathy,  
 Unani, Siddha and Homeopathy (AYUSH)  
 Indian Red Cross Society Building  
 1-Red Cross Road  
 New Delhi-110 001

Sir,

I am directed to refer to your letter No. \_\_\_\_\_, dated the \_\_\_\_\_ on the above subject and to say that the physical and other infrastructure facilities available at the proposed \_\_\_\_\_ (name of the College) \_\_\_\_\_ to be set up at \_\_\_\_\_ by the (name of the State Government/Union territory/Trust) were inspected on \_\_\_\_\_ by the inspection team appointed by the Central Council of Homoeopathy. A copy of the inspection report is enclosed.

2. The inspection report and all other related papers were placed before the Executive Committee of the Council in its meeting held on \_\_\_\_\_. On careful consideration of the proposal, the Executive Committee decided to recommend for approval/disapproval of the Scheme. The decision of the Executive Committee has been approved by before the General Body in its meeting held on \_\_\_\_\_.

3. On careful consideration of the Scheme and inspection report, the Central Council has arrived at the following conclusion-

i) that the applicant fulfils the eligibility and qualifying criteria;

ii) that the applicant has a feasible and time bound programme to set up the proposed Homoeopathy College along with required infrastructure facilities including adequate hostel facilities for boys and girls and as specified by the Central Council, commensurate with the proposed intake of students so as to establish the College fully within a period of four years from the date of grant of permission;

iii) that the applicant has a feasible and time bound expansion programme to provide additional beds and infrastructure facilities as specified by the Central Council, by way of up-gradation of the existing Hospital or by way of establishment of new Hospital in the same College campus or both so as to collectively provide the specified bed complement within a period of four years from the date of grant of permission to set up the proposed College;

iv) that the applicant has necessary managerial and financial capabilities to establish and

- maintain the proposed college and its ancillary facilities including a teaching Hospital;
- v) that the applicant has a feasible and time bound programme for recruitment of faculty and staff as per prescribed norms of the Central Council and that the necessary posts stand created;
- vi) that the applicant has not admitted any students and
- vii) deficiencies, if any, in the infrastructure or faculty. (be pointed out indicating whether these are remediable or not)

The position regarding infrastructure facilities is as under: -

S.No.	Requirement at the time of inception as per Central Council of Homoeopathy	Availability	Remarks
1.	Staff		
2.	Buildings		
3.	Equipment		
4.	Faculty		
5.	Pharmacy		
6.	Medicinal Plants Garden		
7.	Other requirements		

In view of the above position, the Council recommends to the Central Government for issuing/not issuing the Letter of Intent.

(In case the Council does not recommend issue of Letter of Intent)

The reasons for disapproval of the Scheme are as under: -

- a) \_\_\_\_\_
- b) \_\_\_\_\_
- c) \_\_\_\_\_

The scheme, in original, is returned herewith.

**Dr. LALAI VERMA, Registrar-cum-Secretary Central Council of Homoeopathy**

[ No. ADVT III/4/147/11/Exty.]

Enclosures: - Inspection report and Scheme.

**SCHEDULE**  
(see regulation 5)  
**SCHEDULE FOR RECEIPT AND PROCESSING OF THE APPLICATIONS**

S.No.	State of processing	Last Date
1.	Receipt of applications by the Central Government	1st April to 30th April (both days inclusive ) of any year
2.	Forwarding of applications by Central Government to Central Council of Homoeopathy for technical scrutiny	31 <sup>st</sup> May
3.	Recommendations of Central Council to Central Government	31 <sup>st</sup> August
4.	Issue of letter for making Enquiries, if any, under sub-section (5) of section 13 A by the Central Government.	30 <sup>th</sup> September
5.	Receipt of reply to the enquiries made from the applicant	31st October
6.	Receipt of scheme by the Central Council for consideration for issue of letter of permission.	30th November
7.	Recommendation of Central Council to Central Government for issue of Letter of Permission	28th February
8.	Issue of Letter of Permission by the Central Government	31st March

Note: (1) The information given by the applicant in Part-I of the application for setting up Homoeopathy college that is information regarding organization, basic infrastructure facilities, managerial and financial capabilities of the applicant shall be scrutinized by the Central Council through an application and thereafter the Central Council may recommend issue of Letter of Intent by the Central Government.

(2) Renewal of permission shall not be granted to the new Medical College if the above Schedule for opening Homoeopathy College is not adhered to; and admissions are made without prior approval of the Central Government.